पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ईश्वरी प्रसाद तांतिया और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

आपराधिक विविध मामला सं.55076/2016

12 दिसंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा परिवाद संख्या 3372 (सी) 2015 में जारी संज्ञान आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—रद्द करना—ओ.पी. सं. 2 द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर शिकायत—सड़क निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ताओं की कंपनी और ओ.पी. सं. 2 के बीच व्यापारिक संबंध आदि।—ओ.पी. सं. 2 द्वारा कोई आरोप नहीं कि याचिकाकर्ता व्यापारिक लेनदेन के शुरू से ही ओ.पी. सं. 2 को धोखा दे रहे थे—उनके बीच विवाद तब उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ताओं की कंपनी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया और ऐसा विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और आईपीसी की धारा 406 के मुख्य तत्वों को आकर्षित नहीं करता है।

निर्णीत: ओ.पी. नंबर 2 कॉरपोरेट दिवाला विनियमन प्रक्रिया में कॉरपोरेट लेनदारों में से एक है, जो याचिकाकर्ताओं की कंपनी के खिलाफ चल रही है—दिवाला संहिता, 2016 की धारा 32-ए के प्रावधान के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लंबित रहने के दौरान आपराधिक कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है, जो याचिकाकर्ताओं की कंपनी के खिलाफ अभी भी लंबित है—कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है; और विद्वान मजिस्ट्रेट ने यांत्रिक तरीके से संज्ञान लिया है—आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है—याचिका को अनुमति दी जाती है। **(पैराग्राफ 5 और 6)**

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, विनियमन 2016

मुख्य शब्दों की सूची

कॉर्पोरेट लेनदारों के बीच, विवाद विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है, व्यापारिक लेनदेन है।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा परिवाद संख्या 3372 (सी) 2015 में जारी संज्ञान आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री प्रफुल्ल चंद्र झा, अधिवक्ता, श्री अविनाश चंद्र, अधिवक्ता, श्री सर्वोत्तम आनंद, अधिवक्ता।

विपक्षी संख्या के लिए 2: श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री शाक्षी दीप, अधिवक्ता, श्री मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: झारखंडी उपाध्याय, एपीपी।

हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध मामला सं.55076/2016

थाना कांड संख्या-3372 वर्ष-2015 थाना- पटना शिकायत मामला जिला पटना

==========

1. ईश्वरी प्रसाद तांतिया पिता स्वर्गीय गोबर्धन प्रसाद तांतिया, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तांतिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, निवासी 96, नारकेलडांगा मेन रोड, कोलकाता- 700054
2. राहुल तांतिया पुत्र ईश्वरी प्रसाद तांतिया, निदेशक, तांतिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, निवासी 96, नारकेलडांगा मेन रोड, कोलकाता- 700054।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मेसर्स सिंह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व बी.के. सिंह उर्फ बबलू कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, निवासी हाउस नंबर एल- 220, द्वितीय तल, डुमरांव पैलेस, फ्रेजर रोड, थाना- कोतवाली, जिला- पटना, बिहार के माध्यम से किया गया।

... ... उत्तरदातागण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री प्रफुल्ल चंद्र झा, अधिवक्ता
		श्री अविनाश चंद्र, अधिवक्ता
		श्री सर्वोत्तम आनंद, अधिवक्ता
विपक्षी संख्या 2 के लिए	:	श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
		सुश्री साक्षी दीप, अधिवक्ता
		श्री मिथलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री झारखण्डी उपाध्याय, एपीपी

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

12-12-2024

याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल चंद्र झा, सूचक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सिंह और राज्य की ओर से विद्वान एपीपी श्री झारखंडी उपाध्याय को सुना गया।

2. यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें शिकायत वाद संख्या 3372 (सी) 2015 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पटना की अदालत द्वारा पारित दिनांक 28.01.2016 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 34 के साथ धारा 406 के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल चंद्र झा ने मुख्य रूप से आदेश को रद्द करने के लिए आधार लिया है कि बिपक्षी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत में लगाए गए तथ्यों और आरोपों से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप के बावजूद कोई आपराधिक अपराध नहीं पाया गया है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की कंपनी मेसर्स तांतिया कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और कंपनी मेसर्स सिंह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के बीच व्यावसायिक संबंध थे। (बिपक्षी नं. 2), जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक, बी. के. सिंह उर्फ बबलू कुमार सिंह ने किया और आरोप के अनुसार, रु 280,00,000/-सड़क निर्माण कार्य के संबंध में बिपक्षी संख्या 2 की कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे माल जैसे पत्थर के चिप्स, पत्थर की धूल आदि के संबंध में याचिकाकर्ताओं की कंपनी की ओर से - बकाया था और इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर आवेदन पर, याचिकाकर्ताओं की कंपनी को लेनदारों में से एक, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'दिवाला संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (संक्षेप में 'सी. आई. आर. पी.') पटना को दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की कंपनी के खिलाफ शुरू किया गया जिसमें बिपक्षी. संख्या 2, मेसर्स सिंह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी को कॉर्पोरेट देनदारों में से एक बनाया गया है और उक्त समाधान प्रक्रिया अभी भी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ, कोलकाता (संक्षेप में 'एन. सी. एल. टी. कोलकाता') के समक्ष विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के अनुसार, दिनांक 13.03.2019 के आदेश के अनुसार एन. सी. एल. टी. कोलकाता ने दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं सहित वित्तीय लेनदारों के दावे को स्वीकार किया है और उसके बाद, 18.03.2019 को, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के तहत एक सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी और टांटिया कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के लेनदारों के दावे आमंत्रित किए गए थे और बिपक्षी नंबर 2 ने रु 29802473/-फॉर्म-बी (अनुलग्नक-पी/12) के माध्यम से दिनांक 25.04.2019 को- जिसके खिलाफ एन. सी. एल. टी. कोलकाता ने बिपक्षी. संख्या 2 के दावे को मंजूरी दी। और 24.02.2020 को NCLT कोलकाता ने रु. 2,10,93,780 को (अनुलग्नक पी/13) समाधान योजना, को मंजूरी दी और उसके बाद, रु. 6,49,346 (अनुलग्नक पी/14)- विपक्षी संख्या- 2 के बैंक खाते में चेक नंबर 231739 दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से भुगतान किया गया है और इस संबंध में, अनुलग्नक-पी/16 प्रासंगिक है और यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान, विपक्षी संख्या- 2 ने अपना दावा दायर किया था और इसे रु. 2,10,93,780/- के प्रस्ताव द्वारा पेशेवर और उसके बाद, विपक्षी संख्या 2 को एक परिचालन लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और याचिकाकर्ताओं की कंपनी का प्रबंधन 17.06.2023 को नए प्रबंधन को सौंप दिया गया है और इस तरह से दिवाला संहिता, 2016 की धारा 32-ए के प्रावधान को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं या उनकी कंपनी मेसर्स टांटिया कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का दायित्व कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) के शुरू होने से पहले कथित रूप से किए गए अपराध समाप्त हो जाएगा और कॉर्पोरेट देनदारों (याचिकाकर्ताओं) पर ऐसे अपराध

के लिए उस तारीख से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जब समाधान योजना को मंजूरी दी गई है। दिवाला संहिता, 2016 की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

4. यद्यपि विपक्षी संख्या- 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सिंह ने इस याचिका का विरोध किया है, लेकिन दिवाला संहिता, 2016 की धारा 32-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के आधार का खंडन करने में असमर्थ रहें और उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री भी नहीं पेश की याचिकाकर्ताओ या उनकी कंपनी की ओर से व्यापारिक लेनदेन की शुरुआत से ही बेईमानी का इरादा मौजूद था, जो की याचिकाकर्ताओ की कंपनी और विपक्षी संख्या 2 के बिच चल रहा था।

5. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विपक्षी संख्या- 2 द्वारा दायर शिकायत और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन किया। यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपरोक्त आधारों में तथ्य पाता है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि सड़क निर्माण आदि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ताओं की कंपनी और विपक्षी संख्या- 2 के बीच व्यापारिक संबंध थे और विपक्षी संख्या- 2 द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता व्यापारिक लेन-देन की शुरुआत से ही विपक्षी संख्या- 2 को धोखा दे रहे थे और विपक्षी संख्या- 2 की शिकायत में किए गए कथनों के अनुसार, उनके बीच विवाद तब उत्पन्न हुआ जब बकाया राशि रु. याचिकाकर्ताओं की कंपनी द्वारा 2,98,02,473/- का भुगतान नहीं किया गया था और यह विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और इसमें आईपीसी की धारा 406 के मुख्य तत्व शामिल नहीं हैं और आरोपों के आधार पर, उक्त धारा का अपराध नहीं बनता है और इसके अलावा, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि एनसीएलटी कोलकाता द्वारा याचिकाकर्ताओं की कंपनी के खिलाफ दिवालियापन संहिता की धारा 7 के तहत एक कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की गई है और यह अभी भी विचाराधीन है और भारतीय दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड, विनियमन 2016 (आईबीबीआई) के विनियमन 6 के

तहत सार्वजनिक घोषणा के बाद, विपक्षी सं.-2 ने रुपये का अपना दावा उठाया। 2,98,02,473/- याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर फॉर्म-बी (अनुपूरक हलफनामे के अनुलग्नक-पी/12) के माध्यम से, जिसके खिलाफ, एनसीएलटी कोलकाता ने विपक्षी संख्या- 2 के 2,10,93,780/- रुपये के दावे को मंजूरी दे दी और विपक्षी संख्या- 2 को दिनांक 02.07.2019 (अनुलग्नक-पी/13) के ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया और यह एक स्वीकृत स्थिति है कि ओ.पी. नंबर 2 कॉर्पोरेट दिवालियापन विनियमन प्रक्रिया में कॉर्पोरेट लेनदारों में से एक है जो याचिकाकर्ताओं की कंपनी के खिलाफ चल रही है और इसके अलावा, यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि रुपये का कुछ हिस्सा भुगतान विपक्षी संख्या- 2 के स्वीकृत दावे के विरुद्ध 6,49,346/- की राशि विपक्षी संख्या- 2 के बैंक खाते में अनुलग्नक-पी/16 के अनुसार जमा की गई है और ये तथ्य विपक्षी संख्या- 2 द्वारा दायर शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को दिवाला संहिता, 2016 की धारा 32-ए की उपधारा (1) के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त हैं, जिसमें कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के प्रारंभ होने से पहले किए गए अपराध के संबंध में सभी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का स्पष्ट प्रावधान है और प्रावधान इस प्रकार है:

> "इस संहिता या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के शुरू होने से पहले किए गए किसी अपराध के लिए कॉर्पोरेट देनदार की देयता समाप्त हो जाएगी, और कॉर्पोरेट देनदार पर उस अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जिस दिन से समाधान योजना को धारा 31 के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, यदि समाधान योजना के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में ऐसे व्यक्ति को परिवर्तन होता है जो -
>
> (क) ऐसे व्यक्ति का प्रवर्तक या निगमित देनदार या संबंधित पक्ष के प्रबंधन या नियंत्रण में; या

(ख) एक व्यक्ति जिसके संबंध में संबंधित जांच प्राधिकरण के पास अपने कब्जे में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध करने के लिए उकसाया या साजिश रची थी, और संबंधित वैधानिक प्राधिकरण या न्यायालय को एक रिपोर्ट या शिकायत प्रस्तुत या दायर की हैः

बशर्ते कि यदि ऐसे निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कोई अभियोजन शुरू किया गया था, तो यह इस उप-धारा की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से मुक्त हो जाएगाः

बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (जे) में परिभाषित "नामित भागीदार" था, या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (60) में परिभाषित "डिफॉल्टर अधिकारी" था, या किसी भी तरह से कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार था या किसी भी तरह से कॉर्पोरेट देनदार से जुड़ा था और जो जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या दायर शिकायत के अनुसार ऐसे अपराध के कमीशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए ऐसे अपराध के लिए अभियोजित और दंडित किया जाना जारी रहेगा, भले ही कॉर्पोरेट देनदार की देयता इस उप-धारा के तहत समाप्त हो गई हो।"

6. तदनुसार, दिवाला संहिता, 2016 की धारा 32-ए के उपरोक्त प्रावधान के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लंबित रहने के दौरान आपराधिक कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है, जो याचिकाकर्ताओं की कंपनी के खिलाफ अभी भी लंबित है और इसके अलावा, आरोपों के आधार पर, आईपीसी की धारा 406 के तहत कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने यांत्रिक तरीके से उक्त अपराध का संज्ञान लिया है और याचिकाकर्ताओं को उक्त अपराध के लिए

मुकदमे के अधीन करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए, इस आदेश को रद्द किया जाता है और तत्काल आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।